



सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन

क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2025/946

दिनांक : 10/09/2025

- :: अधिसूचना :: -

म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रं. 248 भोपाल दिनांक 08.09.2025 के द्वारा म.प्र. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2025 के द्वारा म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रं. 22 सन् 1973) (जो इसमें पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के कॉलम (2) में, शब्द "विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन" के स्थान पर शब्द "सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन" स्थापित किया गया है।

किसी ऐसे अधिनियमिति के अधीन, जो म.प्र. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2025 के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, या अन्यथा जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं, किए गए आदेशों, बनाए गए नियमों, उपविधियों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, विहित प्रमाण-पत्रों, उपाधियों, उपाधिपत्रों या किन्हीं भी अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उनमें विक्रम विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्रति किए गए निर्देश हों।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक : 10/09/2025

क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2025/944

प्रतिलिपि,

01. अपर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, वल्लभभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
03. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
04. आयुक्त, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
05. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली।
06. सचिव, भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय, मण्डल, नई दिल्ली।
07. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली।
08. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जी-7, सेक्टर-10 द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली।
09. कुलगुरु/कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, भारतवर्ष।
10. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
11. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
12. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/अधिकारी, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन।
13. वित्त नियंत्रक, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन।
14. कुलगुरु/कुलसचिव के निज सहायक, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन।

उपकुलसचिव (प्रशासन)